

लेटर्स पेटेंट अपील

न्यायमूर्ति डी. के. महाजन और बाल राज तुली के समक्ष

ग्राम पंचायत और अन्य-अपीलकर्ता

बनाम

हर लाल और अन्य- उत्तरदाता

**1968 के लेटर्स पेटेंट अपील नंबर 556**

19 नवंबर, 1970

ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन निवारण) अधिनियम (1948 का एल) - धारा 42, परंतुक - परंतुक में उल्लिखित "इच्छुक पक्षों" की अभिव्यक्ति - अभिव्यक्ति का अर्थ - अभिव्यक्ति का अर्थ - चाहे भूमि पर किरायेदार शामिल हों। ग्राम पंचायत, आदि बनाम हर लाल, आदि (तुली, न्यायमूर्ति)

अभिनिर्धारित किया कि, ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन रोकथाम) अधिनियम, 1948 की धारा 42 के परंतुक में "रुचि रखने वाले पक्ष" शब्द का अर्थ उन व्यक्तियों से है जिनके स्वामित्व या कब्जे या भूमि में किसी अन्य अधिकार के अधिकार अधिनियम की धारा 42 के तहत निर्णय से प्रभावित होंगे। इसका कारण यह है कि किसी भी व्यक्ति को नोटिस जारी किए बिना और उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई भी आदेश किसी व्यक्ति के हित के प्रतिकूल नहीं किया जा सकता है और यही परंतुक का उद्देश्य और इरादा है। इसे केवल अधिकारधारकों तक सीमित नहीं किया जा सकता है। किरायेदारों को अपने किरायेदारी अधिकारों की रक्षा के लिए सुनवाई का भी अधिकार है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि, किसी अन्य भूमि के मामले में, जिसके तहत वे किरायेदार हैं, उस भूमि में उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है और उनसे छीनी जाने वाली भूमि के बदले आवंटित भूमि ऐसी भूमि है जो खेती योग्य है और किरायेदारों के रूप में उनका हित इसमें शामिल नहीं होगा। किसी भी तरह से पीड़ित हैं।

(अनुच्छेद 3)

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड X के तहत 25 सितंबर 1966 के फैसले के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील, माननीय न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन द्वारा सिविल रिट नंबर 1067/1967 में पारित किया गया।

जी.सी. मित्तल और पी. के. आसपास अपीलकर्ताओं के वकील जैन।

के. आर. महाजन, वकील, उत्तरदाताओं के लिए।

### निर्णय

इस न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा दिया गया था -

#### **न्यायमूर्ति तुली -**

1. लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत यह अपील इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के 25 सितंबर, 1968 को 1967 के सीडब्ल्यू 1067 में पारित फैसले के खिलाफ निर्देशित है। रिट-याचिकाकर्ताओं ने गुड़गांव में 30 दिसंबर, 1966 को अतिरिक्त निदेशक, चकबंदी ऑफ होल्डिंग्स, हरियाणा के आदेश को इस आधार पर रद्द करने की प्रार्थना की थी कि यह उन्हें कोई नोटिस जारी किए बिना या उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया था, हालांकि इससे भूमि में उनके अधिकार प्रभावित हुए थे और इस प्रकार, ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम की धारा 42 का परंतुक। 1948 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) का उल्लंघन किया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस निवेदन में बल पाया और आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया। उन्होंने गुण-दोष के आधार पर फिर से निर्णय लेने के लिए मामले को अतिरिक्त निदेशक के पास भेज दिया।
2. लेटर्स पेटेंट अपील को स्वीकार करने वाली पीठ के स्वीकार नोट से पता चलता है कि अपीलकर्ताओं द्वारा यह कहा गया था कि प्रतिवादी, यानी रिट-याचिकाकर्ता, धारा 42 के तहत अतिरिक्त निदेशक के आक्षेपित आदेश के बाद भूमि के कब्जे में आ गए और उन्हें आवेदन का नोटिस देने का कोई अवसर नहीं था। हमारे समक्ष अपील की सुनवाई में,

यह स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता भूमि के कब्जे में थे जब अधिनियम की धारा 42 के तहत अतिरिक्त निदेशक द्वारा आदेश दिया गया था। जो दलील दी गई है वह यह है कि उन्हें भूमि आवंटित नहीं की गई थी और उन्होंने भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया था। राज्य द्वारा दाखिल रिटर्न में यह कहा गया था कि वे ग्राम पंचायत के तहत किरायेदारों के रूप में कब्जे में थे। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि उक्त प्रतिवादी अधिनियम की धारा 42 के तहत आवेदन के निर्णय में रुचि रखने वाले पक्ष थे, और उन्हें आवेदन देने के खिलाफ पेश होने और कारण बताने के लिए नोटिस दिया जाना था।

3. अपीलकर्ताओं के वकील ने हालांकि, प्रस्तुत किया है कि अधिनियम की धारा 42 के परंतुक में "रुचि रखने वाले पक्ष" शब्द केवल अधिकार-धारकों से संबंधित हैं, न कि किरायेदारों या भूमि के कब्जे वाले अन्य व्यक्तियों से अधिकार-धारकों के रूप में। हमें उस सबमिशन से सहमत होने में हमारी असमर्थता पर खेद है। परंतुक में "रुचि रखने वाले पक्ष" शब्द का अर्थ उन व्यक्तियों से है जिनके स्वामित्व या कब्जे या भूमि में किसी अन्य अधिकार के अधिकार अधिनियम की धारा 42 के तहत अधिनिर्णय द्वारा प्रभावित होंगे। इसका कारण यह है कि किसी भी व्यक्ति को नोटिस जारी किए बिना और उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई भी आदेश किसी व्यक्ति के हित के प्रतिकूल नहीं किया जा सकता है और यही परंतुक का उद्देश्य और इरादा है। इसे केवल अधिकारधारकों तक सीमित नहीं किया जा सकता है। किरायेदारों को अपने किरायेदारी अधिकारों की रक्षा के लिए सुनवाई का भी अधिकार है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि, किसी अन्य भूमि के मामले में, जिसके तहत वे किरायेदार हैं, उस भूमि में उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है और उनसे छीनी जाने वाली भूमि के बदले आवंटित भूमि ऐसी भूमि है जो खेती योग्य है और किरायेदारों के रूप में उनका हित इसमें शामिल नहीं होगा। किसी भी तरह से पीड़ित हैं। विद्वान न्यायाधीश ने मामले के गुण-दोष का फैसला नहीं किया है, जिसे उन्होंने रिट-याचिकाकर्ताओं की उपस्थिति में नए सिरे से तय करने के लिए अतिरिक्त निदेशक पर छोड़ दिया है। इसलिए, उस आदेश में कोई दोष नहीं

पाया जा सकता है। तदनुसार, हम इस अपील में कोई दम नहीं पाते हैं और लागत के साथ इसे खारिज करते हैं। वकील की फीस 100.00 रुपये।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

नेहा सिंह  
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी  
(Trainee Judicial Officer)  
पलवल, हरियाणा